


चरित्र प्रमाण पत्र

ज्ञानम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को प्रमाणित किया जाता है की किसी भी प्रकार से कहीं भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है अतार्थ सोसाइटी द्वारा किये गए कार्यों से समस्त संस्थाएँ एवं व्यक्ति संतोषप्रद है ।



प्रमाण-पत्र

ज्ञानम एजुकेशन एण्ड सोशियल वेलफेयर सोसायटी द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय अजमेर की ओर से दिये गये तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम को सफलता पूर्वक निर्धारित समय पर पूर्ण किया गया। इसके अन्तर्गत पी.पी.टी. प्रोग्राम, निबंध लेखन, वाद-विवाद प्रतियोगिता ऐसे अनेक कार्यक्रम विद्यार्थियों द्वारा जागरूकता के लिए करवाये गये, तथा विजेता रहे विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार वितरित किये गये। साथ ही तम्बाकू नियन्त्रण से संबंधित पम्पलेट व बेनर विद्यालयों में वितरित किये गये। सभी विद्यार्थियों व मौजूद सदस्यों व अतिथिगणों को अल्पाहार वितरित किया गया।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अजमेर



कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम

Email:- tobaccofreeajmer@gmail.com



क्रमांक/एन.टी.सी.पी./2016/11694

दिनांक २.10.2016

ज्ञानम्

अलकनन्दा कॉलोनी, वैशाली नगर,
अजमेर।

विषय:- विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई न्यूनतम दरो पर विद्यालयों में कार्यक्रम का सम्पादन करने हेतु।

सन्दर्भ:- आपके द्वारा दी गई निविदा में न्यूनतम दर होने पर।


उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित निविदा के क्रम में जिले के विद्यालयों में "विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम" का सम्पादन कराके प्रगति सूचना निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे तथा प्रत्येक विद्यालय के कार्यक्रम समाप्ति पर संस्था प्रधान के साथ जन प्रतिनिधि, सरपंच, पार्षद आदि की अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत करे तत्पश्चात भुगतान हेतु बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करे-

क्र सं	कार्य का विवरण	प्रति विद्यालय दर
1	<p>विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम का सम्पादन एन.जी.ओ. से करवाये जाने हेतु।</p> <p><u>कार्य विवरण</u></p> <p>क- विद्यालय के शिक्षको एवं विद्यार्थियों के लिए स्लाइड प्रजेन्टेशन द्वारा तम्बाकू नियंत्रण प्रशिक्षण का आयोजन</p> <p>ख- विद्यालय में निर्धारित तम्बाकू नियंत्रण आई.ई.सी. सामग्री (बोर्ड, पोस्टर, स्टीकर, बैनर्स इत्यादि)का इन्सटालेशन-</p> <ol style="list-style-type: none">धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले प्रति विद्यालय 5 बोर्ड (साइज 60X30 सेमी.)शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबन्धित है एवं दण्डनीय अपराध है की सूचना वाले प्रति विद्यालय 5 बोर्ड (साइज 40X60 सेमी)तम्बाकू मुक्त विद्यालय/संस्थान वाले प्रति विद्यालय 5 बोर्ड (साइज 45 X60 सेमी.) <p>स्टीकर पोस्टर:- (1) तम्बाकू सेवन जनित स्वास्थ्य खतरो की सूचना/संदेश वाले स्टीकर सहित पोस्टर 5 प्रकार के प्रति विद्यालय 2-2 पोस्टर = कुल 10 पोस्टर एवं</p> <p>(2) कोटपा 2003 अधि० की जानकारी वाले एक प्रकार के 2 पोस्टर तथा तम्बाकू सेवन से मुक्ति के उपाय/सुझाव वाले एक प्रकार के 2 एवं तम्बाकू निषेधक स्लोगन वाले एक प्रकार के 2 पोस्टर = इस प्रकार तीन प्रकार कुल 6 पोस्टर प्रति विद्यालय</p> <p>इस प्रकार उक्त 8 प्रकार के 16 पोस्टर के लगलगा लगाये जायेंगे, जिसकी साइज</p>	8000/-

<p>45X60सेमी की होगी जो स्टीकर्स में बनेंगे।</p> <p>पम्पलेट- तम्बाकू के स्वास्थ्य खतरे कोटपा कानुनी प्रावधान एवं तम्बाकू से छुटकारा पाने के उपाय वाले पम्पलेट विद्यालय में वितरित किये जायेंगे।</p> <p>वाहन व्यवस्था - ट्रांसपोर्टेशन हेतु एन.जी.ओ.की टीम को वाहन की आवश्यकता होगी।</p> <p>प्रोग्राम कोर्डिनेशन- कार्यक्रम कोर्डिनेटर शुल्क विद्यालयों के प्रधानाचार्य/शिक्षकगण से मिलकर वार्ता कर कार्यक्रम सम्पादन का अनुमोदन लेना समय निर्धारण करना कार्यक्रम में सहयोग लेना, फोन करना इत्यादि कार्य एनजीओ कार्डिनेटर द्वारा किये जायेंगे।</p> <p>पलैक्स बैनर - तम्बाकू मुक्त विद्यालय लिखा हुआ सचित्र पलैक्स बैनर (साइज 3X2फुट), प्रति विद्यालय दो बैनर</p> <p>ग -अन्य गतिविधि- फोटोग्राफ, प्रश्नोत्तरी, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, पुरस्कार वितरण शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को नाश्ता आदि।</p>	
--	--

इस आदेश के तहत आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रथमतः चार विद्यालयों पर कार्यक्रम किये जाकर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के साथ-साथ जिला सलाहकार (कोटपा) के भौतिक सत्यापन एवं आपके द्वारा की गई प्रस्तुति पर सन्तुष्टि पश्चात ही आपको विद्यालय अनुसार भुगतान की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।


जिले के किसी भी संस्था प्रधान, जन-प्रतिनिधि, पार्षद, सरपंच आदि के द्वारा प्राप्त शिकायत होने पर अनुमोदन राशि के साथ-साथ अमानत राशि का भुगतान भी आपको नहीं किया जायेगा।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
अजमेर

क्रमांक/एन.टी.सी.पी./2016/ 11694
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ:-

दिनांक 2.10.2016

1. श्रीमान निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, निदेशालय, जयपुर।
2. श्रीमान नोडल अधिकारी, एनटीसीपी, राज0जयपुर।
3. श्रीमान संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन अजमेर।
4. श्रीमान जिला कलक्टर अजमेर।
5. कार्यालय प्रति।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
अजमेर

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चौरसियावास, अजमेर (राज.)	प्रेषिति श्रीयुत ज्ञानम एज्युकेशन एवं वेलफेयर सोसायटी अजमेर
--	--

क्रमांक :- रामावि/चौरसियावास/संस्था/ सामान्य/ /

दिनांक 3/7/2018

विषय :-


प्रसंग :-

मान्यवर,

आप द्वारा दि: 03.07.18 को कलेक्टर भंडा
की उपाख्योक्ति से लगभग 50 बच्चों को इस विद्यालय में
प्रवेश हेतु स्काट वेग, यूनिफॉर्म, स्काट चिट, स्टेशनरी
जैसे-जैसे इत्यादी का वितरण कराया गया।

उक्त बच्चों की प्रवेश हेतु आवश्यक
कार्यवाही पूर्ण हो गई है। इनको संशासक प्रवेश
दे दिया जाएगा।

उक्त हेतु आपका एवं हिन्दुस्तान जिनके
लिमिटेड, जिनके द्वारा उक्त सामग्री विहरण
विद्या गया खादर धन्यवाद।


प्रधानाध्यापक
राजकीय माध्यमिक विद्यालय
चौरसियावास-अजमेर



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर द्वारा

(प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम)

.....से..... तक

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाण-पत्र श्री. मती अरका देव पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री राजेश्वर
निवासी अजमेर को, जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर के सौजन्य से विल एण्ड वे डवलपमेंट
इन्सटिट्यूट, जयपुर के तत्वावधान में प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत आयोजित द्वि दिवसीय
प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के उपलक्ष में प्रदान किया जाता है।
हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

Devi

आर. एस. शेखावत

निदेशक

विल एण्ड वे डवलपमेंट इन्सटिट्यूट, जयपुर

श्री. एन. मितल

पी. एन. मितल

महाप्रबन्धक

जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर

स्थापित : 23 जनवरी 1988

हिन्द सेवा दल, अजमेर एवं लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान (रजि.) अजमेर

द्वारा आयोजित
“माँ तूझे सलाम”, अवार्ड समारोह
एक शाम माँ के नाम

प्रशस्ति-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अलका जैन द्वारा निःशुल्क शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया, जिसके उपलक्ष्य में सम्मान स्वरूप इन्हें यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

दिनांक : 03 जून, 2019

सीन : सूचना केन्द्र, अजमेर



आर. के महापत्र

संस्थापक व अध्यक्ष



सुमा चान्दना

महासचिव



मुक्ता मिश्रा

वरि. उपाध्यक्ष



दिनेश शर्मा (सहाय)

कार्यक्रम संयोजक



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004
फोन : 0141-2702784, 2706577-78 फैक्स : 2706575
www.igprgvs@rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ11 () आरजीपीएसए/आईजीपीआरएस/2017/4662-4700 दिनांक- 24/8/17

कार्यालय आदेश

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा आयोजित – राजस्थान पंचायती राज जीपीडीपी थीमैटिक रिफ्रेशर प्रशिक्षण अभियान : 2017-18 के तहत-ज़िला प्रशिक्षक दल सदस्यों (DRGs) हेतु राज्य स्तरीय जीपीडीपी-थीमैटिक रिफ्रेशर टीओटी कार्यशाला दिनांक : 22-24 अगस्त, 2017 के दौरान आयोजित की गई, जिसमें संभागियों को प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त-24 अगस्त, 2017 को अपरान्ह पश्चात् कार्यमुक्त किया जाता है। सभी संभागियों को आवास एवं भोजन सुविधा संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी गई एवं यात्रा-व्यय का भुगतान केवल एनजीओ संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों के ही RTGS द्वारा भुगतान किया जायेगा।

नाम Alka Jain पदनाम Dir's 'Gyanam' edu & So. Wel Soc. Ajmer.

विभाग/संस्था संस्था

संलग्न : संभागियों की उपस्थिति सूची

अनिता
24/08/17
(डॉ. अनिता)

प्रोफेसर एवं प्रभारी
पंचायती राज प्रशिक्षण

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, महानिदेशक, संस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उपायुक्त (प्रशिक्षण), पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी (आरजीपीएसए), पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद्-समस्त।

अनिता
24/08/17
(डॉ. अनिता)

प्रोफेसर एवं प्रभारी
पंचायती राज प्रशिक्षण

पुष्कर मेला विकास समिति, अजमेर

दिनांक 20 अक्टूबर से 4 नवम्बर, 2017



प्रशस्ति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी नोनम, स्वयंसेवी संस्था

में भाग लिया एवं विकास सदस्य स्थान प्रथम प्राप्त किया।

अतः इन्हें यह प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है।

विष्णु कुमार गोयल


R.A.S.

मेला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी,
पुष्कर

गौरव गोयल

I.A.S.

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
श्री पुष्कर पशु मेला सलाहकार समिति, अजमेर



DD-PRS

कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर

12/8/16

क्रमांक- जि.उ.के.अ./प1()/ईडीपी/2016-17/ 2490

दिनांक 27/6/16

श्री पी.आर.शर्मा,

उप निदेशक, उद्योग

उद्योग विभाग राज.-जयपुर।

6645
28/6/16

CSR
W
28/6

विषय- सी.एस.आर. योजनान्तर्गत प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसंग में आपसे दूरभाष पर हुई वार्तानुसार संस्था मै0 ज्ञानम् ऐज्यूकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी अजमेर द्वारा सी.एस.आर.योजनान्तर्गत निम्न प्रोजेक्ट प्रस्तुत किये गये हैं:-

- 1-वॉकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर(बूटिक इन टाउन ऐरिया)
- 2-वॉकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर (बूटिक इन विलेज ऐरिया)
- 3-वॉकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर (पॉर्लर इन टाउन ऐरिया)

जो मूल ही पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।
संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(सी.बी. नवल)

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर